कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

—: आदेश :—

क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/1601/2020 बिलासपुर, दिनांक—06 अप्रैल, 2020

जिले में कोरोना वायरस (KOVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण में रखने के लिए दंड प्रकिया की संहिता की धारा 144 लागू किया गया है एवं भारत सरकार ने भी देश में 21 दिन की लॉकडाउन के फलस्वरूप कृषि कार्य में सुगमता हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 40—3/2020—DM (A) दिनांक 03.04.2020 द्वारा कृषि मशीनरी के विकय से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कृषि मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, (जिसमें सप्लाई चैन शामिल है) एवं इसके रिपेयरिंग से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को परिचालित करने हेतु लॉकडाउन से छूट प्रदाय की गई है। जिले में कृषि मशीनरी के विकय से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कृषि मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स (जिसमें सप्लाई चैन शामिल है) एवं इसके रिपेयरिंग से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निम्न शर्तो के अधीन परिचालित करने की एतद् द्वारा अनुमति प्रदाय की जाती है—

1 उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर खोले एवं बंद करे।

2 व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने दुकान के सामने किसानों के हाथ धोने के लिए साबुन/हैंड वाश, पानी एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की जावे, ताकि किसान इसका उपयोग कर सकें।

3 व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने दुकान कोरोना वायरस (KOVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाईन एवं एडवाईजरी का पालन करते हुए विकय/सर्विस प्रदाय करें।

4 व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने दुकान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

6.4.2020

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर(छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला— बिलासपुर (छ0ग0)

पृ क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/1601-A/2020 बिलासपुर, दिनांक—06 अप्रैल, 2020

1 प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छग शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 संचालक कृषि, छग रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3 आयुक्त महोदय, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4 पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5 पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर

7 उप संचालक कृषि, बिलासपुर

8 अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/बिल्हा/मस्तुरी/कोटा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9 उप संचालक, जनसंपर्क बिलासपुर को प्रकाशनार्थ।

6.4.2020

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर(छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला— बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner